

डिक्री बमुकदमें ईत्दाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए  
प्रकरण संख्या:- 573/2025

1. सुखचौनसिंह पुत्र अवतारसिंह जाति अराई निवासी मानकसर
2. सुखपालसिंह पुत्र अवतारसिंह जाति अराई निवासी मानकसर

वादीगण

बनाम

1. अवतारसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति अराई निवासी मानकसर
2. सुमन कौर पत्नी बन्टीसिंह गिल पुत्री अवतारसिंह जाति अराई निवासी लीलावाली
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के सिमक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कन्हैयालाल वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 अवतार सिंह के नाम चक 17 एमकेएस खाता संख्या 24/42 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में दर्ज कृषि भूमि का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.12.2022 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया